

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक "शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना" के अन्तर्गत प्रदेश में स्वीकृत शेल्टर्स के निर्माण कार्य की प्रगति समीक्षा हेतु मिशन निदेशक राज्य शहरी आजीविका मिशन एवं सूडा, उ०प्र० की अध्यक्षता में कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 22.05.2015 को अपराह्न 4:30 बजे आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजनान्तर्गत प्रदेश हेतु स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष प्रगति की समीक्षा कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों के साथ मिशन निदेशक की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. डा० अनिल कुमार सिंह— अपर निदेशक, सूडा।
2. लाल प्रताप सिंह — वित्त नियंत्रक, सूडा।
3. आई०पी०कनौजिया — परियोजना निदेशक, सूडा।
4. मु० तैयब — परामर्शी सूडा।
5. ए०के० पुरवार — महाप्रबन्धक सी०एण्ड०डी०एस०, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।

II- स्वीकृत परियोजनाओं के संबंध में अवगत कराया गया कि स्वीकृत 46 शहरों हेतु 60 परियोजनाओं के सापेक्ष अद्यतन 19 परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ हुआ है। शेष पर निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 46 परियोजनाओं में कार्यदायी संस्था एवं सी०एम०एम०यू० के मध्य MoU सम्पादित हो गया है तथा सी०एम०एम०यू०/डूडा द्वारा 30 परियोजनाओं में सूडा से अवमुक्त धनराशि कार्यदायी संस्था सी०एण्ड०डी०एस० को अवमुक्त की जा चुकी है।

- लखनऊ पल्टन छावनी (50 शहरी बेघरों हेतु) स्वीकृत परियोजना पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था परन्तु पुरातत्व विभाग द्वारा रोक लगा दिये जाने के कारण निर्माण कार्य बाधित है। इस संबंध में अवगत कराया गया कि पुरातत्व विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु सर्वेक्षण हो गया है तथा पुरातत्व विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण हेतु विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- स्वीकृत कतिपय परियोजनाओं वाराणसी— 2, खलीलाबाद—सन्त कबीर नगर—1, गाजियाबाद—1, शामली—1, एवं सहारनपुर—1 परियोजना स्थल विवाद के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है।
- शामली में उच्चिकृत हेतु स्वीकृत परियोजना हेतु आवंटित भवन को जिला न्यायालय हेतु दोबारा आवंटित हो जाने के दृष्टिगत अन्य उपयुक्त स्थल की तलाश की जा रही थी, परन्तु सी०पी०ओ० शामली से प्राप्त सूचना के आधार पर अवगत कराया गया कि प्रकरण के मा० उच्च न्यायालय में चले जाने के कारण सम्भावना है कि प्रस्तावित स्थल दोबारा मिल जाये।
- सहारनपुर दुधली रोड हेतु स्वीकृत परियोजना के संबंध में अवगत कराया गया कि परियोजना स्वीकृत के उपरान्त उक्त स्थल के उपयुक्त न होने की हडको टिप्पणी के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा अनुपालन किये जाने के निर्देश के दृष्टिगत परियोजना अधिकारी से प्राप्त सूचना के अनुसार अन्य उपयुक्त स्थल टैक्सी स्टैण्ड के समीप चयनित कर सी०एण्ड०डी०एस० प्रतिनिधि को अग्रेतर कार्यवाही हेतु अवगत करा दिया गया है।

- अलीगढ़ एवं वाराणसी हेतु स्वीकृत परियोजना में Soil Investigation में भराई की मिट्टी पाये जाने के कारण विगत 21.05.2015 को आयोजित राज्य परियोजना स्वीकृत समिति की बैठक में निरस्त कर संशोधित परियोजना स्वीकृत की गयी है।

III- स्वीकृत परियोजनाओं के संबंध में परियोजनावार प्रगति समीक्षा में उल्लिखित प्रगति पर निदेशक महोदय द्वारा प्रकरण के मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन होने एवं मा0 न्यायालय द्वारा निरन्तर सघन समीक्षा किये जाने के दृष्टिगत असन्तोष व्यक्त करते हुए कड़े निर्देश दिये गये कि निम्नांकित बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाय:-

1. सी0 एण्ड0डी0एस0 द्वारा निर्माण कार्य तेजी से प्रारम्भ कर निर्धारित समय सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण कर शेल्टर्स हस्तगत किये जाय।
2. अधिकांश परियोजनाओं पर निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा/नवम्बर 2015 से पूर्व पूर्ण किया जाय।
3. निर्माण कार्य की आगामी साप्ताहिक समीक्षा बैठक दिनांक 05.06.2015 शुक्रवार को सायं 4:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के कक्ष में सी0एण्ड0डी0एस0 निदेशक के साथ किया जायेगा।
4. सी0एण्ड0डी0एस0 द्वारा एम0ओ0यू0 की कार्यवाही पूर्णकर प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाये।
5. जिन शहरों में स्वीकृत परियोजनाओं पर कोई विवाद नहीं है तथा कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है। वहां पर शहर मिशन प्रबंधन इकाई द्वारा प्रत्येक दशा में एक सप्ताह में धनराशि अवमुक्त किया जाय।
6. परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा लगाई गई शर्तों की अनुपालन आख्या प्रत्येक दशा में कार्यदायी संस्था एवं सी0एम0एम0यू0 द्वारा उपलब्ध कराया जाय इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाय।
7. विवादित परियोजनाओं के संबंध में स्पष्ट प्रस्ताव सी0एण्ड0डी0एस0 एवं सी0एम0एम0यू0 द्वारा राज्य शहरी आजीविका मिशन को उपलब्ध कराया जाय।
8. विवादित परियोजनाओं के निस्तारण हेतु राज्य शहरी आजीविका मिशन द्वारा शहर मिशन प्रबंधन इकाई तथा सी0एण्ड डी0एस0 से प्रस्ताव प्राप्त कर कार्यवाही पूर्ण करायी जाय।
9. जिन परियोजनाओं में Soil Testing के उपरान्त किसी भी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है, उसके संबंध में सक्षम अधिकारी/पी0डब्लू0डी0 से परीक्षणोपरान्त स्पष्ट प्रस्ताव सी0एण्ड0डी0एस0 द्वारा सी0एम0एम0यू0 के माध्यम से SMMU को उपलब्ध कराया जाय।
10. स्वीकृति परियोजना में किसी भी प्रकार की मूल्यवृद्धि का प्रावधान न होने के दृष्टिगत त्वरित गति से निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाय।
11. निर्धारित समय सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण न होने पर कार्यदायी संस्था की जिम्मेदारी होगी।
12. सूडा उत्तर प्रदेश द्वारा सी0एम0एम0यू0 को धनराशि निर्गत करते समय उसकी प्रति निदेशक सी0एण्ड0डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को उपलब्ध करायी जाय।
13. कार्यदायी संस्था द्वारा सी0एम0एम0यू0 के माध्यम से निर्धारित प्रारूप पर निर्माण कार्य की विस्तृत प्रति आख्या प्रत्येक माह की 03 तारीख तक उपलब्ध करायी जाय।

प्रकरण के विचाराधीन रिट याचिका संख्या-55/2003 के संबंध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में दिनांक 24.07.2015 को अगली सुनवाई के दौरान शेल्टर्स की प्रगति समीक्षा के दृष्टिगत उल्लिखित निर्देशों के साथ कार्यदायी संस्था के निदेशक, सी0एण्ड0डी0एस0 के

9

6

3

साथ आगामी समीक्षा दिनांक 05.06.2015 शुक्रवार को सायं 04:30 बजे की जायेगी। उक्त बैठक से पूर्व सी0एण्ड डी0एस0 अविवादित सभी परियोजनाओं पर प्रत्येक दशा में निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये। परियोजना से सम्बन्धित सभी शहरों के प्रोजेक्ट मैनेजर सी0 एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम, को कार्यदायी संस्था द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशों से सम्यक रूप से अवगत करा दें तथा उनकी सूची भी मोबाइल नं0, फोन नं0, एवं पता सहित राज्य शहरी आजीविका मिशन, सूडा, उ0प्र0 को उपलब्ध करायें। समय से कार्य पूर्ण न कराने पर उनकी जिम्मेदारी होगी।

भवदीय,

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

पत्रांक- 824 241/NULM/तीन/2001(SUH) VOL-III

दिनांक- 02/6/15

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
4. निदेशक सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5. नगर आयुक्त-नगर निगम- आगरा, अलीगढ़, वाराणसी, सहारनपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, बरेली, गोरखपुर, लखनऊ तथा गाजियाबाद।
6. जिलाधिकारी/अध्यक्ष- लोनी (गाजियाबाद), फिरोजाबाद, आजमगढ़, बदायूँ, बलिया, बांदा, बुलन्दशहर, सम्भल, चंदौसी-मुगलसराय, गाजीपुर, गोण्डा, हापुड़, हाथरस, कासगंज, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रायबरेली, शामली, उन्नाव, नवाबगंज (बाराबंकी), दादरी (गौतमबुद्धनगर), बिजनौर, पडरौना (कुशीनगर), महोबा, मऊ, प्रतापगढ़, खलीलाबाद (संतकबीरनगर), सिद्धार्थनगर, राबर्टसगंज (सोनभद्र), ज्ञानपुर (भदोही), चन्दौली, अकबरपुर (कानपुर देहात) तथा मंझनपुर (कौशाम्बी)।
7. वित्त नियंत्रक, सूडा उ0प्र0।
8. सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी/सिटी प्रोजेक्ट आफिसर।
9. सम्बन्धित परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी।
10. सहायक वेब मास्टर सूडा को अपलोड एवं ईमेल से प्रेषण हेतु।

ॐ

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

ॐ